फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्री मोहित अग्रवाल बनाम श्री गणेश दशोरा

धारा 111-128 L.R. Act किस्म प्रार्थना पत्र

प्र0सं0 388/17

28/12/17 बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये सलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 28/12/17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

28/12/17 पत्रावली पेश हुई। दरखास्तकर्ता उपस्थित। विपक्षीगण क्र0/को 13 के सम्मन वारंट तामिल प्राप्त हुये। जिसे तामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण क्र0/को 13 उपस्थित नहीं। P.O. द्वारा प्रेषित डाक पत्र से वास्ते विपक्षीगण के अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 10-1-18 को पेश हो। B.O.

10-1-18 पत्रावली पेश हुई। दरखास्तकर्ता उपस्थित। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को जितनी ही मर्तबा विधिवत तामीले दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। दरखास्तकर्ता के एक तरफा बहस करनी चाही। दरखास्तकर्ता एक तरफा बहस/बहसनामा वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 17-1-18 को पेश हो।

17-1-18 पत्रावली पेश हुई। दरखास्तकर्ता उपस्थित। दरखास्तकर्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 L.R. Act का स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय एवम् के लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को लिखा जावे। पत्रावली दफ्तर शुमार की जावे दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner